बिल का सारांश

नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2013

- विदेशी मामलों के मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर, 2013 को राज्यसभा में नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2013 को प्रस्तावित किया गया था और विस्तृत जांच के लिए स्टैंडिंग कमिटी के पास भेजा गया था। यह बिल नालंदा विश्वविद्यालय एक्ट, 2010 में संशोधन का प्रयास करता है। एक्ट पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए फैसलों के परिणामस्वरूप बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है।
- एक्ट के तहत, विश्वविद्यालय एक अलाभकारी सार्वजनिक-निजी पार्टनरशिप है जिसे अन्य स्रोतों के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य देश द्वारा सहयोग प्राप्त है। बिल इस एक्ट में आवश्यक संशोधन करता है जिससे भारत सरकार विश्वविद्यालय के लिए अपेक्षित पूंजीगत और आवर्ती व्यय को पूरा करने में समर्थ हो सके।
- विश्वविद्याल की शक्तियों में संशोधन किया गया है और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के परिसंघ के गठन और विदेशों में स्थित संस्थानों सहित अन्य विश्वविद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को विश्वविद्यालय की फैकेल्टी के तौर पर नियुक्त करने की शक्ति उसमें शामिल की गई है।
- विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी के आकार को बढ़ाया गया है जिससे उसमें दो प्रख्यात व्यक्तियों और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक फैकेल्टी से दो सदस्यों को शामिल किया जा सके। बिल में डीन और प्रोवोस्ट की नियुक्तियों का प्रावधान भी है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च "पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

मंदिरा काला
mandira@prsindia.org

28 सितंबर, 2013